Varadan and Inter-Departmental Committee Recommendations

*106. SHRI GURUDAS DAS GUPTA:

SHRI PRAMOD MAHAJAN:+

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) what are the recommendations of the Varadan Committee in general and in particular about leasing out broadcasting rights of Doordarshan and Radio Channels;

(b) what action Government have taken thereon;

(c) whether it is a fact that Government had constituted an inter-departmental Committee to review the proposals for Privatisaion of Doordarshan;

(d) if so, what are the details of its recommendations; and

(e) what is Government's reaction thereto?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI GIRIJA VYAS): (a) to (e) The main recommendations of the inter-departmental Committee set up by the Government on 3.9.91 to suggest the options available to the Government for implementation of the scheme for offering broadcasting rights to public corporations after making an indepth study of all the relevant aspects are given in the Statement (See below). The Report is being examined by the Government.

Statement

Main Recommendations of the Inter-Departmental Committee on Introducing Competition in the Electronic Media

The Committee acknowledges the need for introducing competition in the electronic media.

The Committee has listed out the various options available to the Government for introducing competition, ranking them in the following order of priority:

(a) Setting up of new TV/Radio channels for regional broadcast may be allowed in the different parts of the country subject to viability of operaions including suitable linkage for inter-regional network.

(b) Second channel of Doordarshan in the four metropolitan cities and additional radio channels including FM stations wherever available may also simultaneously be leased out to suitable licences after passage of suitable legislation.

(c) Permission may be given to one agency or consortium to set up a series of transmitters in the country. (This option will rank only next to the option at (a) above.)

(d) Leasing out a particular time chunk from existing TV/Radio channels is not recommended.

(e) Option of licencees leasing a transponder on a satellite is appropriate for developmental or educational telecast and may be considered by Government when spare segment on satellite becomes available.

Selection of agencies for grant of licence should be done by an independent agency which could be called Broadcasting Council and be comprised of eminent public men with *unimpeachable* probity.

Organisations eligible to receive licences should be public limited companies with major interest groups concerned with broadcasting represented in manegement and with open access to shareholding.

Cross Media restrictions to avoid monopoly over information sources suggested.

Preference may be given to public bodies like Uinversities, Cooperative institutions, etc. in the mater of grant of licence in their area of operation.

Guidelines for programmes spelt out, e.g. advertisement code of AIR/Doordarshan, no pdogramme to offend the religious sentiments of any group, be prejudicial to the sovereignty and integrity of India, etc. or infringe the provisions of the Copyright Act.

+The Question was actually asked on the floor of the House by Shri Pramod Mahajan

System of quality rating and procedure for redressal of complaints suggested.

The Broadcasting Council of India be vested, through suitable legislation, with the functions of licensing, monitoring of programmes, quality rating and redressal of complaints.

New lagislation to govern the setting up and operation of additional broadcast channels be enacted.

श्री प्रमोद महाजन : सभापति जी, वरदन समिति ने दूरदर्शन और रेडियो चैनल के प्रसार के बारे में अत्यन्त महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं, खास कर दूरदर्शन के क्षेत्र में, आज भारतीय दूरदर्शन पर सी०एन एन०, स्टार टी० वी०, बी०बी०सी० और केबल टी०वी०, इन चारों ओर से आक्रमण हो रहा है और ऐसी आक्रमण की स्थिति में दूरदर्शन की प्रासंगिकता भी समाप्त हो रही है और उसकी उपयुक्तता भी समाप्त हो रही है। इस पृष्ठभूमि में मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि दूरदर्शन की प्रासंगिकता बनी रहे और उपयुक्तता बनी रहे इसलिए हमें एक ओर दूरदर्शन को स्वतंत्र करना पड़ेगा, निश्चित रूप से करना पड़ेगा और दूसरी ओर दूसरे चैनल पर जो वरदन समिति ने कहा है कि निजीकरण करके निजी क्षेत्रों को भी स्पर्द्धा में उतारने के लिए दूरदर्शन को कोई आज्ञा देनी पड़ेगी। इस दृष्टि से जो वरदन कमेटी की सिफारिशों की इस पृष्ठभूमि में सरकार इस पर कब तक निर्णय लेगी? क्योंकि यह इलैक्ट्रानिक मीडिया होने के कारण इसमें हम जितनी देर करेंगे उतनी देर में हमारी प्रासंगिकता और उपयुक्तता कम होगी।

कुमारी गिरिजा व्यास : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य महोदय के कंसर्न को समझती हूं और मंत्रालय भी इस कंसर्न को समझता है। जैसे ही यह सरकार पावर में आई 24 जून से ही इस सरकार ने इस पर सोचना प्रारम्भ किया। मैं सदन को, सदन के समक्ष निवेदन करना चाहती हूं कि उस समय प्रसार भारती बिल का प्रश्न हमारे सामने था, लेकिन प्रसार भारती बिल पास होने के बावजूद भी उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ था और उस पर कोई पोलिटीकल डायरेक्शन भी नहीं था, केवल विभाग के आफिसर्ज इस संबंध में कार्य कर रहे थे। इसलिए उन्हें आदेश दिया गया कि वे अपने कार्य में गति लाएं। जैसा कि माननीय सदस्य महोदय ने कहा कि चारों आक्रमणों का प्रभाव भी इसी वक्त हुआ जिससे निश्चित रूप से मंत्रालय भी चिंतित था और इसीलिए 30 सितम्बर को श्री वरदन की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठाई गई। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 24 अक्तूबर को दे दी जिसको मंत्रालय ने अच्छी तरह से समझा और उस पर त्वरित कार्य करने के आदेश भी दिए। उसी रिपोर्ट को 30 अक्तूबर को प्रेस के समक्ष और समस्त जनता के समक्ष पेश किया गया कि समस्त भारतीय जनता इस संबंध में कंसर्न थी और उन्हें कंसर्न होना भी चाहिए, क्योंकि माननीय प्राइम मिनिस्टर महोदय भी इस संबंध में बहुत चिंतित थे। इसलिए उन्हें यह रिपोर्ट 4 नवंबर को प्रस्तुत कर दी गई और निश्चित रूप से मैं सदन को निवेदन करना चाहती हूं कि आपने स्वयं में देखा होगा कि जिस त्वरित गति से कार्य शुरू हुआ इससे निश्चित रूप से मंत्रालय भी बहुत सीरियस है, क्योंकि विभिन्न मंत्रालयों से भी इस संबंध में विचार-विमर्श करना पड़ता है और 10 मंत्रालय इससे संबंधित हैं, लेकिन मैं सदन को आश्वस्त करना चाहती हूं कि आपकी चिंता के साथ हम लोग भी चिंतित हैं और थेड जो चैलेंज हमें बाहर से मिल रहे हैं, उन चैलेंजेज की पूर्ति के लिए दूरदर्शन या प्रसार भारती और इसको कम्पीट करने के लिए पब्लिक कार्पोरेशन के रूप में प्राइवेटायजेशन का जो प्रारूप है, वह शीघ्र ही प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

श्री प्रमोद महाजन: सभापति जी, सरकारी शीघ्रता कितनी शीघ्र होती है, इसका हम सब को अनुभव है। इसलिए मैं मंत्री महोदया से पूछना चाहूंगा कि

जब तक प्रसार भारती का निर्माण सरकार नहीं करती है और दूसरी ओर जब तक वह दूरदर्शन के दूसरे चैनल का निजीकरण नहीं करती है तब तक का जो उसका शीघ्र कार्यक्रम है, इस शीघ्रता के बीच में दूरदर्शन की प्रासंगिकता और उपयुक्तता बनी रहे, लोग दूरदर्शन देखें, इस दृष्टि से सरकार बीच में क्या कदम उठा रही है?

कुमारी गिरिजा व्यास : माननीय सभापति महोदय, सरकार चिंतित भी है, सरकार प्रतिबद्ध भी है और सरकार और हम लोग सब इस बात को भी जानते हैं कि चाहे आज कितना भी चैलेंज हमें "केबल" टी.वी. से या फॉरेन टेलिविजन से मिले, निरपेक्ष रूप से, अंतिम रूप से हम अपने कार्यक्रमों को, अपनी सांस्कृतिक देन को, अपने आसपास के वातावरण को देखना चाहते हैं। लेकिन अधिक रुचिकर हों, जनता के लिए अधिक उपयुक्त हों, इस संबंध में प्रयत्नशील हैं और मैं आश्वस्त करना चाहती हूं कि विभाग पूरी तरह इस ओर लगा हुआ है और रुचिकर कार्यक्रम, उपयुक्त कार्यक्रम और प्रासंगिक कार्यक्रमों के साथ हम लोग ये कार्यक्रम देंगे।

श्री प्रमोद महाजन : सभापति जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पास "युग श्री" टी.वी. पत्रिका है जो सर्वे आन इम्पेक्ट ऑफ केबल टी.वी.... **(व्यवधान)**...

श्री सभापति : आपके दो प्रश्न हो गए। श्री विठ्ठलभाई पटेल।

श्री विठ्ठलभाई मोतीराम पटेल : सभापति महोदय, प्रसारण मंत्री ने कुछ वक्त पहले कहा था कि जो प्रसार भारती बिल पार्लियामेंट ने पास किया है वह पूरा नहीं है और उसमें एमेंडमेंट लाना पड़ेगा। तो आप कब एमेंडमेंट ला रहे हैं और उस को कब पास करवाएंगे?

कुमारी गिरिजा व्यास : मैं पूरी डेट तो नहीं दे सकती, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य है बहुत शीघ्रता से।

डा. रत्नाकर पाण्डेय : इसी वर्ष में?

कुमारी गिरिजा व्यास : जी हां।

श्री प्रमोद महाजन : इसी वर्ष हो जाएगा। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : उन्होंने जल्दी-से-जल्दी कहा है। आपने क्या कहा है कि इसी साल कर देंगी?

कुमारी गिरिजा व्यास : महोदय, 365 दिन का हमारा वायदा है।

श्री चतुरानन मिश्र : सभापति महोदय मेरा सवाल यह है कि सी.एन.एन. और केबल टी.वी. का जो आक्रमण हो रहा है, वह प्राइवेटाइजेशन और कार्पोरेशन बनाने से नहीं रुकेगा। साइंटिफिकली और टैक्निकली क्या पॉसिबिलिटी है, इस बारे में मंत्री महोदय बताएं।

कुमारी गिरिजा व्यास : माननीय सभापति महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा, इस संबंध में 10 मिनिस्ट्रीज का कार्य है। यह केवल इंफार्मेशन एंड ब्रॉडकॉस्टिंग का नहीं है, इसलिए सभी मंत्रालयों से बात कर के निश्चित रूप से इस तरह का विधान लाने की कोशिश की जाएगी जिससे हमारी अस्मिता पर चोट न लगे।

श्री चतुरानन मिश्र : मैंने पूछा है कि टैक्नीकली एंड साइंटिफिकली क्या पौसिबिलिटी है?

श्री सभापति : वह भी देखेंगे। वह यह कह रहे हैं कि क्या आप साइंटिफिकली एंड टैक्नीकली इंप्रूवमेंट का प्रयास करेंगी?

कुमारी गिरिजा व्यास : सर, यह बहुत अलग से प्रश्न है। अलग से ही

इस पर कभी चर्चा हो तो ठीक होगा, लेकिन वैज्ञानिक रूप से इसको रोका नहीं जा सकता और यह मैं जरूर निवेदन कर दूं कि हम लोगों ने बॉर्डर एरियाज को विशेष तौर से जहां कि इस तरह से लाने का ज्यादा संदेह है, उन पर अपने हाई पावर ट्रांसमीटर्स लगाने का कार्य शुरू कर दिया है।

कुमारी चन्द्रिका प्रेमजी केनिया : सभापति महोदय, मंत्री महोदया, ने अभी बताया कि अगर निजीकरण नहीं करना है और उसके बीच का जो समय है उसमें आप रुचिकर और प्रासंगिक कार्यक्रम देना चाहेंगे। मैं भी टेलिविजन देखती हूं, वीडियो भी देखती हूं तो मुझे लगता है कि जो दूसरे प्रोग्राम्स आते हैं, केवल टी.वी. है और सी.एन.एन. टी.वी. है, उसके कैपेरीजन में हमारे टी वी प्रोग्राम्स ठीक तरह के नहीं आ रहे हैं। तो आप क्या कदम उठाएंगी ताकि टी.वी. कार्मर्सियालायजेशन की तरफ जिस तरह जा रहा है, उस पर रोक लगे और दूसरा "चौराहा" नाम का एक कार्यक्रम जो अशिक्षितों के पढ़ने-लिखने का कार्यक्रम था, उस पर रोक लगायी गयी है। क्या आप देखेंगी कि यह कार्यक्रम फिर से शुरू हो?

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Price level of drugs and medicines

*105. SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY:

CHOWDHARY RAM SEWAK:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the Editorial captioned "Break the deadly Nexus" that appeared in Indian Express on 25th October, 1991;

(b) if so, whether it is a fact that the price level of drugs and medicines is much higher than the claim of cost escalation by the industry;

(c) whether it is also a fact that anti-inflammatory Ibuprofen, anti-biotic Ampicillin, Vitamins, anti-Tuberculosis, anti-Diabeties and certain essential medicines are now highly expensive;

(d) what is Government's reaction thereto; and

(e) names of the drugs, their prices before increase and the present prices?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI CHINTA MOHAN): (a) Yes, Sir.

(b) The prices of scheduled drugs and medicines are fixed under DPCO, 1987 in accordance with a formula and fixed norms which keep the prices of these drugs and medicines under adequate check. Recommendations of BICP, an expert organisation for industrial costs & pricing, are also considered before fixing/revising of prices of drugs and formulations. It is not correct to say that the price revision given by the Government is higher than the cost escalation.

(c) to (e) In a situation of rising cost of inputs some amount of increase in the prices of drugs and medicines is unavoidable. Adjustments in the exchange rate of rupee also have a bearing on these increases. A statement furnishing the details of prices of some of the ceiling packs of formulations based on bulk drugs Ampicillin, Ibuprofen, Rifampicin, etc. is appexed.